

# कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक...539...../शा वि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक 18/06/2018

## // चयन सूची //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2-53-2017-1-55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा में रिक्त प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक के पद हेतु आयोजित साक्षात्कार दिनांक 18.06.2018 में चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है -

### चयनित प्राध्यापक-

क्रमांक	विषय	चयनित प्राध्यापक	श्रेणी
1	माईकोबायलॉजी	डॉ. विकासचंद्र यादव	अनारक्षित
2	फोरेंसिक मेडिसिन	डॉ संदेश हुसन चौधरी	अनारक्षित

### चयनित सह प्राध्यापक-

क्रमांक	विषय	चयनित सह प्राध्यापक	श्रेणी
1	पैथोलॉजी एवं ब्लड बैंक	डॉ डीलक्स विनायक गोड़घाटे	अनारक्षित

### चयनित सहायक प्राध्यापक -

क्रमांक	विषय	चयनित सहायक प्राध्यापक	श्रेणी
1	बायोकेमिस्ट्री	डॉ. दिनेश बूरे	अनारक्षित
2	फोरेंसिक मेडिसिन	डॉ. विनोद पतिराम	अनारक्षित
3	कम्युनिटी मेडिसिन	डॉ. विकास द्विवेदी	अनारक्षित
4	कम्युनिटी मेडिसिन (इपिडीमियोलॉजी)	डॉ. रितेश उपाध्याय	अनारक्षित
5	जनरल सर्जरी	डॉ. मनोज अग्रवाल	अनारक्षित

### चयनित प्रदर्शक -

क्रमांक	विषय	चयनित प्रदर्शक	श्रेणी
1	एनाटॉमी	डॉ. भारती अनजाने	अनारक्षित
2	बायोकेमिस्ट्री	डॉ. अजमत अंसारी	अनारक्षित
		डॉ. प्रगति कानोरकर	अनारक्षित
		डॉ मनीषा मांडवे	अनुसूचित जनजाति
3	पैथोलॉजी एवं ब्लड बैंक	डॉ शबाना अंसारी	अनारक्षित
		डॉ. मो. आसिफ अंसारी	अनारक्षित
4	माईकोबायलॉजी	डॉ. अर्चना भंडारी	अनारक्षित
		डॉ. हिमाशु सिंह	अनारक्षित
5	कम्युनिटी मेडिसिन (स्टेटीस्टीशियन)	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	अनारक्षित

चयनित उम्मीदवारों को 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। (दिनांक 25/06/2018) इसके पश्चात किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

# कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक.....540...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक 18/4/2018

## // आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार प्राध्यापकों का चयन किया जाता है। पदों पर चयनित किए जाने के फलस्वरूप प्राध्यापकों को सूची अनुसार उनके नाम के आगे उल्लेखित विभाग में अंतिम रूप से पदस्थ किया जाकर वेतनमान 37400-67000+10000 ग्रेड पे प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी अदेश तक नियुक्त किया जाता है।

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन दिये जावेगे।

क्रमांक	विषय	चयनित प्राध्यापक	श्रेणी
1	माईकोबायलॉजी	डॉ. विकासचंद्र यादव	अनारक्षित
2	फोरेसिक मेडिसिन	डॉ संदेश हुसन चौधरी	अनारक्षित

उपरोक्त नियुक्तियों स्वशासी भर्ती नियमों की निम्नानुसार शर्तों के अधीन होगी :

1. चयनित प्राध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित अथवा शासन द्वारा निर्धारित संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
2. चयनित प्राध्यापकों की सेवायें किसी भी समय अधिष्ठाता स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाये देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टांम्पित पत्र बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 3 माह के वेतनमान के बराबर की राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
3. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. चयनित प्राध्यापकों की नियुक्ति 01 वर्ष कालावधि की परीवीक्षा पर होगी।
5. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
6. इस नियुक्ति में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमणित करवा कर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा करना होगा

.....1.....

9. संलग्न अनुप्रमाणन पत्र को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
12. प्रायवेट प्रैक्टिस करने या न करने बावत् विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी परीक्षा में अवैध रूप से चयन से संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा। इसके पश्चात् ही वेतन आहरण होगा। इसके पश्चात भी यदि चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी में अवैध रूप से चयन से संबंधित किसी प्रकरण में संलिप्त/दोषी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, चयनित प्राध्यापक को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात उनका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्रमांक.....540...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक ...18/6/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
5. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा।
6. संबंधित प्राध्यापक ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ आप अपनी उपस्थिति अधिष्ठाता कार्यालय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत करें।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)  
प्रभारी अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

# कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक.....541...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक 18.6.2018

## // आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार सह प्राध्यापकों का चयन किया जाता है। पदों पर चयनित किए जाने के फलस्वरूप सह प्राध्यापकों को सूची अनुसार उनके नाम के आगे उल्लेखित विभाग में अंतिम रूप से पदस्थ किया जाकर वेतनमान 37400-67000+9000 ग्रेड पे प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत भतों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन दिये जावेंगे।

क्रमांक	विषय	चयनित सह प्राध्यापक	श्रेणी
1	पैथोलॉजी एवं ब्लड बैंक	डॉ डीलक्स विनायक गोड़घाटे	अनारक्षित


उपरोक्त नियुक्तियों स्वशासी भर्ती नियमों की निम्नानुसार शर्तों के अधीन होगी :

1. चयनित सह प्राध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित अथवा शासन द्वारा निर्धारित संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
2. चयनित सह प्राध्यापकों की सेवायें किसी भी समय अधिष्ठाता स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाये देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टांप्पित पत्र बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 3 माह के वेतनमान के बराबर की राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
3. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. चयनित सह प्राध्यापकों की नियुक्ति 01 वर्ष कालावधि की परीवीक्षा पर होगी।
5. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
6. इस नियुक्ति में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमणित करवा कर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा करना होगा।
9. संलग्न अनुप्रमाणन पत्र को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।

.....1.....

11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
12. प्रायवेट प्रैक्टिस करने या न करने बावत् विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी परीक्षा में अवैध रूप से चयन से संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा। इसके पश्चात् ही वेतन आहरण होगा। इसके पश्चात् भी यदि चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी में अवैध रूप से चयन से संबंधित किसी प्रकरण में संलिप्त/दोषी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, चयनित सह प्राध्यापक को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात् उनका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।


  
 प्रभारी अधिष्ठाता  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

दिनांक 18/6/2018

क्रमांक.....541...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
5. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा।
6. संबंधित सह प्राध्यापक .....को अपनी उपस्थिति अधिष्ठाता कार्यालय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)  
 प्रभारी अधिष्ठाता  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
 छिंदवाड़ा (म.प्र.)

# कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक...542.../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक ...12/6/2018

## // आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार सहायक प्राध्यापकों का चयन किया जाता है। पदों पर चयनित किए जाने के फलस्वरूप सहायक प्राध्यापकों को सूची अनुसार उनके नाम के आगे उल्लेखित विभाग में अंतिम रूप से पदस्थ किया जाकर वेतनमान 15600-39100+7000 ग्रेड पे प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तो पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन दिये जावेंगे।

क्रमांक	विषय	चयनित सहायक प्राध्यापक	श्रेणी
1	बायोकेमिस्ट्री	डॉ. दिनेश बूरे	अनारक्षित
2	फोरेसिक मेडिसिन	डॉ. विनोद पतिराम	अनारक्षित
3	कम्युनिटी मेडिसिन	डॉ. विकास द्विवेदी	अनारक्षित
4	कम्युनिटी मेडिसिन (इपिडीमियोलॉजी)	डॉ. रितेश उपाध्याय	अनारक्षित
5	जनरल सर्जरी	डॉ. मनोज अग्रवाल	अनारक्षित

उपरोक्त नियुक्तियों स्वशासी भर्ती नियमों की निम्नानुसार शर्तों के अधीन होगी :

- चयनित सहायक प्राध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित अथवा शासन द्वारा निर्धारित संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
- चयनित सहायक प्राध्यापकों की सेवायें किसी भी समय अधिष्ठाता स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाये देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टाम्पित पत्र बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 3 माह के वेतनमान के बराबर की राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति 01 वर्ष कालावधि की परीवीक्षा पर होगी।
- चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
- इस नियुक्ति में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

.....1.....

7. आपकी नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमाणित करवा कर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा करना होगा।
9. संलग्न अनुप्रमाणन पत्र को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
12. प्रायवेट प्रैक्टिस करने या न करने बावत् विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी परीक्षा में अवैध रूप से चयन से संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा। इसके पश्चात् ही वेतन आहरण होगा। इसके पश्चात भी यदि चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी में अवैध रूप से चयन से संबंधित किसी प्रकरण में संलिप्त/दोषी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, चयनित सहायक प्राध्यापक को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात उनका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

दिनांक 18/6/2018

क्रमांक.....542...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
5. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा।
6. संबंधित सहायक प्राध्यापक ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ आप अपनी उपस्थिति अधिष्ठाता कार्यालय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा में प्रस्तुत करें।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)  
प्रभारी अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

.....2.....

# कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक...54.2...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक 12/6/2018

## // आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अनुसार साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार प्रदर्शकों का चयन किया जाता है। पदों पर चयनित किए जाने के फलस्वरूप प्रदर्शकों को सूची अनुसार उनके नाम के आगे उल्लेखित विभाग में अंतिम रूप से पदस्थ किया जाकर वेतनमान 15600-39100+6000 ग्रेड पे प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन दिये जावेंगे।

क्रमांक	विषय	चयनित प्रदर्शक	श्रेणी
1	एनाटॉमी	डॉ. भारती अनजाने	अनारक्षित
2	वायोकेमिस्ट्री	डॉ. अजमत अंसारी	अनारक्षित
		डॉ. प्रगति कानोरकर	अनारक्षित
		डॉ. मनीषा मांडवे	अनुसूचित जनजाति
3	पैथोलॉजी एवं ब्लड बैंक	डॉ. शबाना अंसारी	अनारक्षित
		डॉ. मो. आशिफ अंसारी	अनारक्षित
4	माईक्रोवायलॉजी	डॉ. अर्चना भंडारी	अनारक्षित
		डॉ. हिमाशु सिंह	अनारक्षित
5	कम्युनिटी मेडिसिन (स्टेटिस्टीशियन)	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	अनारक्षित

उपरोक्त नियुक्तियों स्वशासी भर्ती नियमों की निम्नानुसार शर्तों के अधीन होगी :

- चयनित प्रदर्शकों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित अथवा शासन द्वारा निर्धारित संभागीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
- चयनित प्रदर्शकों की सेवायें किसी भी समय अधिष्ठाता स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टांम्पित पत्र बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 3 माह के वेतनमान के बराबर की राशि इस स्वशासी महाविद्यालय को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.....1.....



4. चयनित प्रदर्शकों की नियुक्ति 01 वर्ष कालावधि की परीवीक्षा पर होगी।
5. चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
6. इस नियुक्ति में अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमाणित करवा कर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा करना होगा।
9. संलग्न अनुप्रमाणन पत्र को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।
11. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
12. प्रायवेट प्रैक्टिस करने या न करने बावत् विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी परीक्षा में अवैध रूप से चयन से संबंधित प्रकरण में किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा। इसके पश्चात् ही वेतन आहरण होगा। इसके पश्चात् भी यदि चयनित चिकित्सक का पीएमटी/यूजी/पीजी में अवैध रूप से चयन से संबंधित किसी प्रकरण में संलिप्त/दोषी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, चयनित प्रदर्शक को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात् उनका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्रमांक.....543...../शा चि महा/छिंदवाड़ा/2018

दिनांक .../.../...

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
5. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा।
6. संबंधित प्रदर्शक ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ  
आप अपनी उपस्थिति अधिष्ठाता कार्यालय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी समिति)  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

प्रभारी अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

.....2.....

कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)  
क्रमांक.....544...../G.M.C. Chhindwara/2018

date 18/ 6 / 2018

प्रति,


समस्त चयनित उम्मीदवार  
शैक्षणिक संवर्ग  
साक्षात्कार दिनांक 18/06/2018

विषय :- बंध पत्र/शपथ पत्र भरे जाने बाबत।

आदेशित किया जाता है कि नियुक्ति दिनांक से 07 दिवस के अंदर अपनी उपस्थित (ज्वाइनिंग) डॉ विवेकानंद वाघमारे, उप-अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा को देवें तथा साथ ही ज्वाइनिंग के समय बंध पत्र 1000/- व दो शपथ पत्र 100/- के स्टांप पर (प्रति बंध/शपथ पत्र) संलग्न प्रारूप अनुसार भरना अनिवार्य होगा।

नोट :- चयनित उम्मीदवारों की सूची कॉलेज की वेबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है एवं चयनित उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

संलग्न :- प्रारूप - बंध/दो शपथ पत्र

  
प्रभारी अधिष्ठाता  
मुख्य कार्यपालक अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

कार्यालय अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म०प्र०)

// बंध-पत्र //

(सम्यक रूप से स्टांपित किया जावे एवं जो लागू न हो उसे काट दें)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....  
निवासी.....मध्यप्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय.....  
.....में प्राध्यापक/सह. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन हेतु  
उम्मीदवार हूँ।
2. यदि मेरा चयन उक्त पद हेतु स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय.....में हो  
जाता है, तो मैं निरंतर 03 वर्ष की सेवा उक्त महाविद्यालय में दूंगा/दूंगी।
3. यदि किसी भी कारणवश मैं अपने पद से 03 वर्ष की सेवा के पूर्व या 65 वर्ष होने के पूर्व जो भी  
पहला हो त्याग पत्र देता/देती हूँ या पद छोड़ता/छोड़ती हूँ तो ऐसी स्थिति में मैं संबंधित  
स्वशासी संस्था को पूरे 03 माह के वेतन के बराबर की राशि का भुगतान करूंगा/करूंगी ऐसा  
न करने की स्थिति में यह राशि भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल की जा सकेगी।

शपथ ग्रहिता

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा बंध पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान व  
विश्वास के आधार पर सही है, इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। सत्यापन आज  
दिनांक.....को शहर .....में किया जा सकेगी।

साक्षीगण :-

शपथ ग्रहिता

हस्ताक्षर

1. नाम.....

2. पता.....

हस्ताक्षर

1. नाम .....

2. पता.....

—: शपथ पत्र :-

मैं.....माता/पिता/पति का नाम

श्रीमान्/श्रीमति..... आयु.....निवासी.....

..... राज्य.....

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ।

1. यह कि दिनांक.....को चिकित्सा महाविद्यालय.....में.....

विषय के.....पद के लिये साक्षात्कार में उपस्थित हुआ/हुई।

2. यह कि साक्षात्कार परिणाम आने के पश्चात् मेरा चयन होता है, तो मैं महाविद्यालय द्वारा दी गई समयवधि में अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

3. यह कि चयन होने के पश्चात् दिये गये समयवधि में, मैं अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता/करती हूँ, तो महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह मेरा चयन रद्द कर सकते हैं तथा अगले दो वर्ष तक मध्यप्रदेश के किसी भी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की चयन में किसी भी पद पर आवेदन करने हेतु मैं अनर्हित रहूँगा/रहूँगी।

4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों में भविष्य में कोई विसंगति अथवा जालसाजी पाई जाती है, तो महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह मेरी सेवा को समाप्त कर सकता है।

5. यह कि किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में महाविद्यालय का निर्णय सर्वमान्य होगा।

शपथ ग्रहिता

कार्यालय अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म०प्र०)

/// शपथ पत्र ///

(सम्यक रूप से स्टापित)

मैंने शैक्षणिक सत्र 2017-18 में एम०सी०आई० निरीक्षण के दौरान चिकित्सा महाविद्यालय .....

.....शहर .....विभाग.....

.....के.....पद पर दिनांक.....को.....

अपनी गणना करवाई थी।

उक्त महाविद्यालय को संबंधित वर्ष में एम०सी०आई० द्वारा मान्यता दी गई थी/निरस्त कर दी गयी थी।

शपथ ग्रहिता

(हस्ताक्षर)

नाम .....

पता.....